मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 19.07.2026

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा दो चार पहिया वाहनों में छिपाकर तस्करी हेतु बिहार ले जायी जा रही 488 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब(अनुमानित कीमत करीब ₹ 20 लाख मय वाहन) के साथ 03 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार —

अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक द्रव्य की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 18.07.2026 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अहरौरा वनस्थली महाविद्यालय वहद ग्राम मानिकपुर के पास से सघन वाहन चेकिंग कर 02 चार पहिया वाहनों एक अदद टाटा सफारी वाहन संख्या JH05AE6786 व एक अदद स्कोडा कार वाहन संख्या BR06DQ9078 सवार 03 अभियुक्तों 1.सूर्य प्रताप शुक्ला पुत्र केशव शुक्ला निवासी जैतपुर थाना नगर उटारी जिला गढ़वा(झारखण्ड), 2.अनिल यादव पुत्र दीनदयाल यादव निवासी रामपुर थाना अदलहाट जिला मीरजापुर, 3.सत्यम कुमार पुत्र विजय कुमार मेहता निवासी अरंगी थाना मेराल जिला गढ़वा(झारखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। मौके से पकड़ी गयी दोनों कारों की पुलिस टीम द्वारा तलाशी ली गयी तो वाहनों में छिपाकर बिहार ले जायी जा रही कुल 488 बोतल अलग-अलग ब्राण्ड की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-143/2026 धारा 60/63 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम व 318(4),319(2),336(3),338,340(2) बीएनएस पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त उपरोक्त वाहनों को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ विवरण —

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त सूर्य प्रताप शुक्ला और सत्यम कुमार द्वारा बताया गया कि हम दोनों अपनी कार से जनपद मीरजापुर आते है तथा अनिल यादव के माध्यम से विभिन्न दुकानों से अंग्रेजी शराब खरीदकर गाड़ी में लादकर बिहार ले जाकर अधिक दाम पर बेचते है, अनिल यादव जो कि ग्राम जिगना में स्थित कम्पोजिट वाईन शॉप पर सेल्समैन का काम करता है। परिवहन के दौरान गाड़ी का नम्बर प्लेट फर्जी लगा देते है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.सूर्य प्रताप शुक्ला पुत्र केशव शुक्ला निवासी जैतपुर थाना नगर उटारी जिला गढ़वा(झारखण्ड), उम्र करीब-32 वर्ष।

2.अनिल यादव पुत्र दीनदयाल यादव निवासी रामपुर थाना अदलहाट जिला मीरजापुर, उम्र करीब-26 वर्ष।

3.सत्यम कुमार पुत्र विजय कुमार मेहता निवासी अरंगी थाना मेराल जिला गढ़वा(झारखण्ड), उम्र करीब-28 वर्ष।

बरामदगी विवरण —

- एक अदद टाटा सफारी वाहन संख्या JH05AE6786.
- एक अदद स्कोडा कार वाहन संख्या BR06DQ9078.

• कुल 488 बोतल अंग्रेजी शराब(110 बोतल/750ml एवं 378 बोतल/180ml अंग्रेजी शराब)
[ब्लैंडर प्राइड 40 बोतल/750ml, रायल स्टैग 11 बोतल/750ml व मैजिक मुवमेन्ट 59 बोतल/750ml, स्मिरनोफ मिन्टी जामुन 121 बोतल/180ml, आफ्टर डार्क ब्लू 140 बोतल/180ml, ब्लैंडर प्राइड 44 बोतल/180ml, रॉयल चैंलेज 48 बोतल/180ml, मैजिक मुवमेन्ट 25 बोतल/180ml]

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-143/2026 धारा 60/63 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम व 318(4),319(2),336(3),338,340(2) बीएनएस थाना अहरौरा मीरजापुर।

गिरफ्तारी स्थान, दिनांक व समय —

अहरौरा वनस्थली महाविद्यालय वहद ग्राम मानिकपुर के पास से, दिनांक 18.07.2026 को समय 21.35 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक महेन्द्र कुमार, थाना अहरौरा, जनपद मीरजापुर।
मुख्य आरक्षी आशीष राय, सत्यजीत यादव, नरेन्द्र सिंह, शशी प्रताप सिंह, राजकुमार पटेल व सुनील कुमार।
आरक्षी पन्नालाल, रिक्रूट आरक्षी मणीकान्त व अंकित सिंह, महिला आरक्षी प्रियांशी सिंह।